



2026:AHC:126691

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19354/2026

मुख्तार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार, विवेक सिंह यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए०जी०ए० की बातें सुनीं और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को भी देखा।

2. यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध/एफ०आई०आर० संख्या 158/2026, बी०एन०एस० की धाराओं 191 (2), 190, 125, 326 (g), 333, 324 (4), 115 (2), 351 (2), 3 (5) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के तहत, पुलिस स्टेशन-सेक्टर-63, ज़िला-गौतम बुद्ध नगर में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफ०आई०आर० में आवेदक का नाम नहीं है और उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, अनमोल और विवेक पांडे को इस न्यायालय की एक पीठ ने आदेश आपराधिक

विविध जमानत आवेदन संख्या 19238/2026 और 19707/2026 में क्रमशः 03.06.2026 और 05.06.2026 के आदेशों के ज़रिए ज़मानत दे दी है। इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर आवेदक भी ज़मानत पाने का हकदार है। अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और सुनवाई की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. माननीय ए0जी0ए0 ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्षता से यह स्वीकार किया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, यानी अनमोल और विवेक पांडे को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

5. आवेदक के अधिवक्ता और ए0जी0ए0 की दलीलों पर विचार करने, एफ0आई0आर0 और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका और सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए—और बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए—मेरी यह सोच है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। समानता के आधार पर ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

6. आवेदक-**मुख्तार**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर शक है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 269 है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर ट्रायल के दौरान आवेदक जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी0आर0पी0सी0 की धारा 82 (बीएनएस की संबंधित धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए बीएनएस की संबंधित धारा 209) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 सीआरपीसी (अनुरूप धारा 351 बीएनएस) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित हैं। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026